

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9321  
प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 19.11.25

1 विरधाराम पुत्र सुभाराम  
जाति मेघवाल निवासी  
इण्डारा तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 गोपाराम पुत्र पुनमाराम 2 सवाईराम पुत्र मथराराम 3  
करनाराम पुत्र पोकरराम 4 ओकाराराम पुत्र लाखाराम 5  
बाबूराम पुत्र डूंगराराम जातियान मेघवाल निवासीयान  
आटी 6 बूटाराम पुत्र मकाराम जाति मेघवाल निवासी बाबा  
रामदेव नगर बाड़मेर तसहील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 380/2025

दिनांक-

11/11/25

### आदेश

उपर्युक्त प्रकरण मौजा इण्डारा पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या  
559/150 रकबा 2.8652 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु  
तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व  
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर)  
कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच  
सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर  
बाड़मेर

दिनांक- 19.11.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9322 - 9325

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर  
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी विरधाराम पुत्र सुभाराम जाति मेघवाल निवासी इण्डारा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गोपाराम पुत्र पुनमाराम वगैराह जातियान मेघवाल निवासीयान आटी तहसील व जिली बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

